न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 24/2022

रणवीर पुत्र दयालाराम, जाति मेघवाल, निवासी कुलाठ खुर्द, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार सूरजगढ मुकदमा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रणवीर निर्णय दिनांक 11.08.2021 मु0नं0 120/2021 अ0 धारा 91 भू0–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थितः—

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 11.08.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 528/95 व 529/95 सरहद कुलोठ खुर्द तहसील सूरजगढ में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली करने व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत का आदेश विरूद्ध कानून व पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है अपीलान्ट अतिक्रमी नही है व निर्णय स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अतिक्रमी घोषित कर कानूनी गलती की है। अपीलान्ट के उक्त भूमि पर पक्के आवासीय मकान बने हुये है जिसमें बिजली, पानी का कनेक्शन है उक्त मकानों में पूर्वजो का स्नेह, विवाह, खुशिया, बच्चो के जन्म व बुर्जुगों का निधन हुआ है जिससे अपीलान्ट का उक्त मकान से काफी लगाव रहा है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के समीप है तथा इसके चारों तरफ आबादी बसी हुई है तथा स्कूल भवन, पानी की टंकी, नाली का निर्माण व ग्राम पंचायत के द्वारा सभी आवश्यक सुविधाओं का विस्तार बसी हुई है तथा सभी के पक्के मकान है। उक्त कानूनी तथ्य पर गौर न कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का परिवार उक्त जगह पर काफी वर्षो से रह रहा है इसलिए अपीलान्ट का प्रकरण नियमन की तारीफ में आता है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार सूरजगढ दिनांक 11.08.2021 को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:17 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत का आदेश विरूद्ध कानून व

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

त्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है अपीलान्ट अतिक्रमी नही है व निर्णय स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अतिक्रमी घोषित कर कानूनी गलती की है। अपीलान्ट के उक्त भूमि पर पक्के आवासीय मकान बने हुये है जिसमें बिजली, पानी का कनेक्शन है उक्त मकानों में पूर्वजो का स्नेह, विवाह, खुशिया, बच्चो के जन्म व बुर्जुगों का निधन हुआ है जिससे अपीलान्ट का उक्त मकान से काफी लगाव रहा है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के समीप है तथा इसके चारों तरफ आबादी बसी हुई है तथा स्कूल भवन, पानी की टंकी, नाली का निर्माण व ग्राम पंचायत के द्वारा सभी आवश्यक सुविधाओं का विस्तार बसी हुई है तथा सभी के पक्के मकान है। उक्त कानूनी तथ्य पर गौर न कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का परिवार उक्त जगह पर काफी वर्षो से रह रहा है इसलिए अपीलान्ट का प्रकरण नियमन की तारीफ में आता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार सूरजगढ दिनांक 11.08.2021 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम कुलोठ खुर्द स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 528/95 कुल रकबा 6.44 है0 किस्म गैर मुमकीन जोहड एवं खसरा नम्बर 529/95 कुल रकबा 0.10 है0 किस्म गैर मुमकीन मरघट में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम कुलोठ खुर्द स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 528/95 कुल रकबा 6.44 है0 किस्म गैर मुमकीन जोहड एवं खसरा नम्बर 529/95 कुल रकबा 0.10 है0 किस्म गैर मुमकीन मरघट में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि गै0मु0जोहड एवं गै0मु0 मरघट की भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 यथावत रखा किया जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:17 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं